प्रेषक,

डॉ० लक्ष्मीकान्त राठौर,
विशेष न्यायाधीश ई०सी०एक्ट/
चतुर्थ अपर जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

सेवा में,

माननीय रजिस्ट्रार जनरल,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषयः– **प्रस्तावित क्रेता का कोई मुकदमा मेरे न्यायालय में लम्बित न होने के तथा निर्णीत नहीं किये जाने सम्बन्ध में–**

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 03.12.2020 को मेरे द्वारा वाहन संख्या–UP-78BB-3614, UP-78E-9001 तथा UP-77-6833, विक्रय किये जाने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय के ई सर्विसेस पोर्टल पर फाइल संख्या–1379 है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रेता के सम्बन्धी न होने का विवरण मांगा गया है। साथ ही साथ प्रस्तावित क्रेता का कोई मुकदमा लम्बित होने या निर्णीत किये जाने के सम्बन्द में विवरण मांगा गया है। इस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि प्रस्तावित क्रेता श्री रवीन्द्र कुमार, निवासी केसरी खेड़ा कृष्णानगर लखनऊ का कोई मुकदमा पूर्व में मेरे न्यायालय द्वारा निस्तारित नहीं किया गया है और न ही वर्तमान में कोई मुकदमा मेरे न्यायालय में लम्बित है। माननीय महोदय को सादर यह भी अवगत कराना है कि प्रस्तावित क्रेता का कोई सम्बन्ध मुझसे नहीं है।

अतः माननीय महोदय से सादर अनुरोध है कि उपरोक्त वाहनों को बेचे जाने के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक–26.08.2021

भवदीय

26-08-2021

(डॉ० लक्ष्मीकान्त राठौर)
विशेष न्यायाधीश ई०सी०एक्ट/
चतुर्थ अपर जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।